न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– सोहन लाल, I.A.S. प्रशिक्षु

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 16 / 2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. भीकाराम पुत्र धूलाराम 2. पप्पाराम पुत्र धूलाराम जातियान–विश्नोई निवासीगण–ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला–जोधपुर		1. रखाराम पुत्र माधाराम जाति मेघवाल निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला–जोधपुर 2. राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री भागीरथसिंह सोढ़ा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 21/3/2022

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 7.13 बीघा, खसरा नम्बर 393 / 1 रकबा 7.13 बीघा, खसरा नम्बर 393 / 2 रकबा 0.08 बीघा आयी हुयी है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 393, 393 / 1, 393 / 2 में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 421, 421 / 3 के मध्य में से रास्ता निकलता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता हेतु मार्ग के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। रास्ता की डीएलसी दर का भूगतान करने हेतु प्रार्थीगण तैयार है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वर्णित रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाया गया है के संबंध में भौतिक रिपोर्ट मंगवा कर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 ने मौका कमीश्नर रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब इस आधार का पेश किया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 393, 393/1, 393/2 में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 421, 421/3 के मध्य स्थित कोई रास्ता नहीं निकलता हैं। जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 393, 393/1, 393/2 में जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है, जो प्रथम वैकल्पिक रास्ता ग्राम ओलवी की भूमि खसरा नम्बर 422 (सरकारी) का रास्ता है, उक्त खसरा नम्बर 422 सरकारी भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में काम में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तथा आस पड़ौस के किसान अपने खेतों में पहुंचकर खेती इत्यादि करते है। खसरा नम्बर422 सरकारी भूमि के उतरी पूर्वी दिशा की ओर से चलकर खसरा नम्बर 394 के उतरी पूर्वी माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो भूमि खसरा नम्बर 393/2 में पहुंचता है, जो रास्ता मार्कABCDEFGहै, इसी प्रकार दूसरा वैकल्पिक रास्ता ग्राम आनन्दनगर की भूमि खसरा नम्बर 194 गै०मु० रास्ता है, उक्त खसरा नम्बर 394 के उतरी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो भूमि खसरा नम्बर 393 में पहूंचता है, जो रास्ता HIJKLM है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन कई पीढियों से चला आ रहा है, जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र साथ कोई नजरी नक्शा को पेश नहीं किया हैं। प्रार्थीगण सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नहीं करवा सकते है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 422/4, 422/6 के किस हिस्से या किस खसरे से रास्ते का आवेदन किया है, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता खसरा नम्बर 422/4, 422/6, 421, 421/1 में से किस प्रकार चाहा गया है, जिसका आवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया, जिससे विदित होता है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या–1 व 7 में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 421, 421/3 के मार्क ए बी सी डी के भाग से होकर खेत खसरा नम्बर 393, 393/1, 393/2 में आना जाना पड़ता है का तथ्य लिखा गया है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न लिखा है, लेकिन प्रार्थना पत्र के साथ कोई संलग्न नक्शा पेश नहीं है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 393/1, 393/2 तथा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 422/4, 422/6 के मध्य 36 गट्टे की सीमा है तथा न ही प्रार्थी ने वांछित रास्ता खसरा नम्बर 422/4, 422/6, 421, 421/1 में से किस दिशा की ओर से रास्ता चलना बताया है, इसका प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 422/6, 422/8 के खातेदार को पक्षकार ही बनाया है, तथा न ही प्रार्थीगण ने रास्ते का कोई स्पष्ट नक्शा आदि को पेश किया है। प्रार्थी जहां से रास्ते की मांग कर रहा है, वहां पर कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट तथ्यों के आधार का पेश होने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Sohan

(सोहन लाल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Sohan

(सोहन लाल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा